



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 340]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 अगस्त 2014—श्रावण 14, शक 1936

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2014

क्र. एफ-11-1-2014-चौवन-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, हज समिति अधिनियम, 2002 (क्र. 35) की धारा 17 (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 18 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश हज कमेटी का गठन कर निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है:—

1.	श्री इकबाल हुसैन कुरैशी, उज्जैन	सदस्य
2.	श्री अनवर अहमद, एडव्होकेट, मंदसौर	सदस्य
3.	श्री मेंहदी हसन (शिया समुदाय), भोपाल	सदस्य
4.	श्रीमती नाहिद अख्तर, उपाध्यक्ष, न.पा. कोतमा, अनूपपुर	सदस्य
5.	श्री रहमान राईन, पार्षद, न. पा. विदिशा, जिला विदिशा	सदस्य
6.	श्री मुस्ताक खाँ, पार्षद, न. पा. गोहद, जिला भिण्ड	सदस्य
7.	श्री हाजी इनायत हुसैन कुरैशी, इन्दौर	सदस्य
8.	श्री सरफराज हसन, भोपाल	सदस्य
9.	श्री सिराज कुरैशी, ग्वालियर	सदस्य
10.	श्री रिजवान अंसारी, जिला जबलपुर	सदस्य
11.	श्री शौकत मोहम्मद खान, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल	सदस्य
12.	कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश हज कमेटी, भोपाल	पदेन सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.